

कैसे मज़बूत हो खाद्य सुरक्षा?

मधु व भारत डोगरा

खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करने व संसद के विचाराधीन खाद्य सुरक्षा बिल में सुधार सम्बंधी विचारों के आदान-प्रदान के लिए देहरादून में 1 व 2 मार्च को एक परामर्श का आयोजन किया गया जिसमें अनेक सामाजिक संस्थाओं व वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। इस परामर्श का आयोजन दिशा सामाजिक संगठन, संसद-संस्था, वादा न तोड़ो अभियान, खाद्य व जल सुरक्षा गठबंधन ने आक्सफैम के सहयोग से किया था।

इस परामर्श की एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह रही कि खाद्य सुरक्षा कानून का सही क्रियान्वयन तभी संभव होगा जब साथ में कृषि के आधार को मज़बूत किया जाए। इसके लिए कृषि में निवेश काफी अधिक बढ़ाना होगा व साथ में कृषि नीति का आधार छोटे किसानों को बनाना होगा। छोटे किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कृषि तकनीक अपनाई जानी चाहिए जो किसानों व गांव समुदायों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाए तथा साथ ही पर्यावरण की रक्षा की ओर ले जाए।

छोटे किसानों की ज़रूरत सस्ती कृषि की है, मगर हाल में कुछ प्रवृत्तियां उन पर महंगी तकनीक थोप रही हैं जिसके लिए उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महंगे बीज बार-बार खरीदने पड़ते हैं और कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों, रासायनिक खाद आदि पर खर्च बढ़ता है। जीएम फसलों को फैलाने के प्रयास हो रहे हैं जिससे खाद्य सुरक्षा, कृषि व स्वास्थ्य के लिए कई नई व गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी।

अतः इन प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए कृषि नीति को छोटे किसानों के हितों के अनुकूल बनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण व किसानों के विस्थापन की संभावनाओं को न्यूनतम करना होगा। प्रतिकूल मौसम व जलवायु बदलाव के इस दौर में तो यह और भी ज़रूरी हो गया है कि पर्यावरण संरक्षण से कृषि का जुड़ाव और मज़बूत किया जाए। भूमि सुधारों को आगे बढ़ाना भी न्यायसंगत कृषि व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

मौजूदा केन्द्रीकृत व्यवस्था में अनाज को अधिक उत्पादन के क्षेत्रों से खरीदकर दूर-दूर भेजा जाता है। ज़रूरत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की है ताकि पंचायत के स्तर पर स्थानीय किसानों से अनाज, दलहन, तिलहन, गुड़ आदि खरीदकर उसी पंचायत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली व पोषण कार्यक्रम के लिए आपूर्ति में उपयोग किया जा सके।

परामर्श गोष्ठी के एक प्रमुख आयोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल में खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। दिशा संस्था के सचिव केशवानंद तिवारी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में जिस तरह बेघर लोगों के लिए पोषण की विशेष व्यवस्था है, उसी तरह लंबी बीमारी, अपंगता से पीड़ित व्यक्तियों व असहाय वृद्धों के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उमा प्रकाश ने कहा कि एच.आई.वी./एडस से पीड़ित व्यक्तियों की विशेष पोषण ज़रूरतें हैं। जाह्नवी ने कहा कि एकल महिलाओं की खाद्य सुरक्षा समस्याओं पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है।

दलित समुदाय के लिए भूमि सुधार ज़रूरी बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भूमि पट्टे दलित भूमिहीनों को दिए गए थे, उन्हें छीनने के प्रयास हुए हैं। आदिवासी व वनवासियों पर हुए अन्याय पर ज़ोर देते हुए आर. आर. पफुर्टांडो व अनिल चौधरी ने वनाधिकार कानून को उसकी सही भावना से कार्यान्वित करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा व आजीविका की रक्षा इन दोनों उद्देश्यों को आपस में जोड़कर ही खाद्य सुरक्षा का मज़बूत आधार तैयार होगा।

बीज बचाओ आंदोलन के विजय ज़द्दारी व सामाजिक कार्यकर्ता वीरेन्द्र पैन्चूली ने बीज संरक्षण व खाद्यान्वयन भंडारण की समृद्ध परंपरागत व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाया व खाद्य सुरक्षा को ऐसी समृद्ध परंपराओं से जोड़ने का आवहन किया। सूत्र संस्था के समन्वयक सुभाष मेंधापुरकर ने कहा कि कई परंपरागत बीज विकसित देशों के जर्मप्लाज्म बैंक

में तो रखे हैं पर हमारे किसानों को उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने समृद्ध परंपराओं, समता, न्याय व विकेंद्रीकरण पर आधारित खाद्य सुरक्षा पर ज़ोर दिया।

बिराज स्वेन व आक्सफैम के अन्य प्रतिनिधियों ने ‘ग्रो अभियान’ व संस्था के अन्य खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। पंजाब व हरियाणा के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजूदा भंडारण व्यवस्था का भी पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। कभी-कभी शराब कारखाने इसके लिए दबाव बनाते हैं ताकि भंडारण के अभाव के चलते खराब

होती फसल उन्हें सस्ते में मिल जाए।

हार्क संस्था के निदेशक महेन्द्र कुमार ने कहा कि यदि कृषि में सुधार न किए गए, किसानों की हालत न सुधारी गई तो केवल सस्ते अनाज की उपलब्धि पर नीति केंद्रित करने से कृषि पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है। इस संभावना के प्रति हमें सावधान रहना होगा।

आयोजकों ने बताया कि ऐसे कुछ अन्य परामर्श भी आयोजित होंगे तथा इनकी सिफारिशों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। (**स्रोत फीचर्स**)